न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमंद
(पीठासीन अधिकारी मनसुख राम डामोर, आर. ए. एस.)

प्रकरण संख्याः— 197/2016 वाद
दायर दिनांकः— 09/12/2016
निर्णय दिनांकः— 16/02/2021

—: अनवान : —

1. रामलाल उर्फ रामा पिता लालु जाट निवासी कोटडी तहसील रेलमगरा फौत

1/1 जगदीशचन्द्र पिता रामलाल जाट निवासी कोटडी तहसील रेलमगरा

वादी

बनाम

1. वेणीराम पिता लालु जाट निवासी कोटडी तहसील रेलमगरा
2. मांगीलाल पिता मोहन नायक निवासी (चमरीया खेरी) तहसील रेलमगरा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेलमगरा

—प्रतिवादीगण

वाद बाबत् घोषणा एवं अंकन

निर्णय

वादी की ओर से जरिये अधिवक्ता द्वारा बाबत् वाद स्वत्व घोषणा का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जाकर ग्राम कोटडी की सीमा में स्थित आराजी संख्या 1910 रकबा 04—11 बिघा, आराजी संख्या 1916 रकबा 4—00, आराजी संख्या 1917 रकबा 00—04 कुल रकबा 8—15 बिघा भुमि स्थित है। उक्त आराजीयात राजस्व अभिलेख में वादी व प्रतिवादी संख्या 01 के नाम 1/3 हिस्से से और बकाया 2/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या0 2 के नाम पर अंकित है। वादी और प्रतिवादी संख्या 01 के एक बडे भाई नाथु थे। जिसे उक्त कलम में अंकित आराजीयात तीनों भाईयों की शामिल होकर रेकर्ड में दर्ज चली आ रही थी। नाथु की मृत्यु के पश्चात उनका हिस्सा उनकी पत्नी कोयल बाई को प्राप्त हुआ कोयल बाई ने अपना हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 को दे दिया। प्रतिवादी संख्या 01 को रूपया की आवश्यकता होने से उसका

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

हिस्सा और वादी का हिस्सा प्रतिवादी संख्या 02 को बेच दिया चुंकि प्रतिवादी संख्या 01 को कर्जा चुकाना था। जिससे उसके निवेदन पर वादी ने बिकाव नामा लिखा रजिस्ट्री करवा दी विक्रय राशि में से वादी का हिस्सा वादी ने प्राप्त नहीं किया कुलिया रकम प्रतिवादी संख्या 01 ने ही प्राप्त की बकाया रहा हिस्सा करीब 02–02 बिस्वा जो कोयल बाई के हिस्से का था। वह वादी को सौप कर कब्जा दे दिया। और उस बाबत इकरार दिनांक 02.05.2003 को निस्पादित कर दिया की यह भाग जो वादी के कब्जे काश्त में है उसमें प्रतिवादी संख्या 01 का कोई हक अधिकार नहीं रहेगा। तब से लगाकर आज दिन तक वादी का ही कब्जा निर्विघ्न निरन्तर चला आ रहा है। मौके पर भी विभाजन को होकर वादी का कब्जा थोर बाड से महदुद है। बकाया हिस्सा जो प्रतिवादी संख्या 02 का दक्षिणी भाग पर उसकी थोर बाड है। रेकार्ड में अभी तक वादी के साथ प्रतिवादी संख्या 01 का नाम अंकित चला आ रहा है। जिसे हटवाये जाने हेतु वादी ने प्रतिवादी संख्या 01 को कई बार कहा हर बार वह हाँ–हाँ टालम टोल करता रह रहा है। जिससे वादी के लिये आवश्यक हो गया कि आराजी संख्या 1910 में से 02–02 बिस्वा भूमि वादी के स्वत्व की घोषित करवा ली जावे चुकि इस खाते की आराजी संख्या 1916 एवं 1917 का पुरा भाग और 1910 का भाग प्रतिवादी संख्या 02 के कब्जे काश्त में है जिस पर उसकी थोहर की बाड लगी हुई है। दिनांक 5.9.2016 को वादी ने रजिस्टर्ड सुचना पत्र भिजवाकर यह भु – भाग अपने नाम पर पुरा करवा लेने यानि प्रतिवादी संख्या 01 का नाम अभीलेख से हटवा लिये जाने का सुचना पत्र दिलाया जो प्रतिवादी संख्या 01 को प्राप्त हो गया उसके पश्चात उसने तहसील में चलकर राजस्व अभिलेख में से उसका नाम हटवाये जाने का प्रार्थना पत्र पेश करने का कहा किन्तु वह हाँ–हाँ करके बार–बार टालम टोल कर रहा है। जिससे वाद कारण जब–जब इस भू–भाग से प्रतिवादी संख्या 01 का नाम हटवाये जाने का कहा और दिनांक 05.09.2016 जब की रजिस्टर्ड सूचना पत्र द्वारा तकाजा किया उसके पश्चात भी उसके बराबर हाँ–हाँ करने का जवाब दिया तब वाद कारण बमुकाम कोटडी उत्पन्न हो लगातार चालु है। प्रतिवादी संख्या 01 का नाम राजस्व अभिलेख में अंकित रह जाने से वह अन्तकरण कर सकता है। ऐसी स्थिति में उसके विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा भी जारी कराया जाना आवश्यक हो गया है। अन्यथा उसे अपार अपुर्णनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति नकदी में नहीं हो सकेगी। परस्पर मुकदमें बाजी बड आपसी वैमनस्य बढेगा। प्रतिवादी संख्या 03 जो भुमिधारी है जिससे उन्है पक्षकार बनाया जाना आवश्यक होने से प्राप्त होने से अलग से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80 (2) जा.दी. पेश कर बाद अनुमति दावा पेश है। प्रतिवादी संख्या 02 को सम्भावित आपत्ति एवं सह खातेदार होने से पक्षकार बनाया गया।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

अतः प्रार्थना है कि वादी के पक्ष में और प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्वत्व घोषणा की डिक्री पारित कराई जाकर वाद पत्र की कलम संख्या 01 मे अंकित आराजी संख्या 1910 में से 02–02 बिस्वा भूमि वादी के स्वत्व की घोषित कराई जाकर राजस्व अभिलेख मे उसके अकेले के नाम पर अंकित कराई जावें। अर्थात प्रतिवादी संख्या 01 का नाम वादी के साथ अंकित है उसे विलोपित कराया जाकर उसका नाम राजस्व अभिलेख से हटवाया जावे। प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पारित कराई जावें। की प्रतिवादी संख्या 01 का नाम रेकार्ड में रह जाने से वह अन्तरण खुर्द बुर्द व वादी कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करे न ऐसे कृत्य अन्य से करवाये प्रतिवादी संख्या 03 के समक्ष यदि कोई अन्तरण सम्बंधी लिखापढी पंजीयन हेतु प्रस्तुत हो तो वह पंजीयत हेतु प्रस्तुत हो तो वह पंजीयन स्वयं व अधिनस्थ कर्मचारियों से अभिलेख में कोई परिवर्तन नहीं करे। स्थाई निषेधाज्ञा भी प्रचलित कराई जावें। अन्य या समुचित सहायता वादी प्राप्त करने का अधिकारी हो वह भी प्रदान कराई जावें।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 से 02 बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से प्रकरण में एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये तथा प्रतिवादी संख्या 03 के विरूद्व कोई सहायता नही चाही गयी है। वादीगण ने अपने वादपत्र के समर्थन में गवाह पी.डब्ल्यू.–01 रामलाल उर्फ रामा एवं पी.डब्ल्यू.–02 माधू के शपथ एवं दस्तावेजी साक्ष्य नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 01 तथा वर्तमान जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–02 इकरार पत्र की फोटोप्रति प्रदर्श 03 ए, अधिवक्ता का नोटिस प्रदर्श 04, डाक रशीद प्रदर्श 05, प्राप्ति रसीद प्रदर्श 06 प्रस्तुत की गयी।

वादी अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गयी एवं अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गई, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो जाहिर आया कि वादी अपने वादपत्र में कथन किया है कि ''नाथु की मृत्यु के पश्चात् उनका हिस्सा अपनी पत्नि कोयलबाई को प्राप्त हुआ एवं कोयलबाई ने अपना हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 को दे दिया'' किन्तु उक्त कथन के समर्थन में वादी द्वारा पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है। साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध ईकरार पत्र दिनांक 05.02.2013 की छाया प्रति में प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा आराजी नम्बर 1687, 1782 एवं 1905 कुल किता–03 रकबा 09–08 बीघा के सम्बन्ध में ईकरार पत्र (नोटेरी शुदा 100/–रूपये का स्टाम्प) निष्पादित किया है जो अनरजिस्टर्ड है जबकि वादी द्वारा आराजी संख्या 1910 में से स्वत्व घोषणा हेतु वादपत्र प्रस्तुत किया गया है किन्तु उक्त आराजी संख्या 1910 का ईकरार पत्र में कहीं अंकन

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

नही है ऐसी स्थिति में वादी दस्तावेजी साक्ष्य से अपने वादपत्र को सिद्व करने में असफल रहा है।

अतः दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा वादी अपने वादपत्र को सिद्व करने में असमर्थ रहने से वादी का वाद बाबत घोषणा एवं अंकन का अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर दफ्तर दाखिल की जावें।

निर्णय आज दिनांक 16/02/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मनसुख राम डामोर)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा